



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बैकसिट बनान गिरधारी (कोरा)

किस्म मुकदमा प्र. ०. प्र. 111-128 नं. 99 सन् 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही नय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
19-5-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 30-5-23 को पेश हो ।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
17/6/23	<p>पत्रावली महंगाई राहत कम्प ऐव प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत भीमड़ियास में पेश हुई । विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाप पठ किये गये । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय धूपक से लिखा जाकर शाप पठ किया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम थे ।</p> <p> हुक्मीचन्द सिंहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 99/23 प्रा० पत्र

1- श्री गैक सिंह 510 श्री गौपी सिंह शयत जियासी - देवीपुरा तहसील माण्डल (कोंरा)

-प्रार्थी

वनाम

1- श्री जितधारी 510 छातर भुर्जर निवासी - देवीपुरा तहसील माण्डल (कोंरा)
(सिद्धांकित प्राप्पत्र सालग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 17.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 792 कुल किता 01 रकबा 0.5311 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.5.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 792 कुल किता 01 रकबा 0.5311 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक 311 तमास को 500/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023